

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या : 574/2023 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)  
पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कार्यालय- मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. मैसर्स मेलकोन,  
पता:- एफ-90, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर।
2. श्रीमती निशा जैन पत्नी श्री राजेश कुमार जैन,  
पता:- एफ-90, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर  
एवं 96, शांति कुंज, अलवर  
एवं प्लॉट नं. 7, नीर सागर-बी, शिवशंकर गृह निर्माण सहकारी समिति, भांकरोटा, जयपुर।
3. श्री राजेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री फूलचंद जैन,  
पता:- एफ-90, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर  
एवं 96, शांति कुंज, अलवर
4. श्री अविनाश कुमार सारस्वत पुत्र स्व. श्री रामबाबूलाल शर्मा,  
पता:- एफ-90, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर
5. श्रीमती अपर्णा जैन पुत्री श्री राजेश कुमार जैन,  
पता:- एफ-90, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर  
एवं 96, शांति कुंज, अलवर

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act.2002.

उपस्थित :-

श्री अरविन्द कुमार कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।



आदेश


दिनांक: 30.06.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती निशा जैन के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 7, नीर सागर-बी, शिवशंकर गृह निर्माण सहकारी समिति, भांकरोटा, जयपुर, क्षेत्रफल 356 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 10.12.2021 को राशि 05,20,00,000/- रुपये, दिनांक 11.06.2020 को राशि 01,03,00,000/- रुपये, दिनांक 09.09.2021 को राशि 01,20,00,000/- रुपये, राशि 38,24,000/- रुपये एवं दिनांक 08.09.2021 को राशि 01,03,00,000/- रुपये कुल राशि 08,32,74,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर



- अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.12.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
  3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 08,32,74,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 08,22,67,112.24/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.12.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
  4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती निशा जैन के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 7, नीर सागर-बी, शिवशंकर गृह निर्माण सहकारी समिति, भांकरोटा, जयपुर, क्षेत्रफल 356 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
  5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था/बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
  6. आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
 (प्रकाश राजपुरोहित)  
 शिला मजिस्ट्रेट  
 (कलक्टर) जयपुर